[2022] 2 एस. सी. आर 859

/

पूरन माल बनाम.

हरियाणा और ए. एन. आर. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 398) 10 मार्च, 2022

/

[वाइन सरन और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.439-जमानत-प्रत्यर्थी सं।2 अपराध यू/एस का आरोप लगाया गया था।302, भारतीय दंड संहिता सी.-निचली अदालत द्वारा जमानत खारिज-उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर-शिकायतकर्ता की अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःजब निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है (वर्तमान मामले में इसे दो बार खारिज कर दिया गया था), तो उच्च विचारण न्यायालय को निचली अदालत से अलग दृष्टिकोण लेते हुए जमानत देने के लिए कुछ ठोस और वैध कारण देने चाहिए-वर्तमान मामले में अपराध की प्रकृति बहुत गंभीर है-तथ्य यह है कि प्रतिवादी नं.2 मृतक को उसकी उपस्थिति में चाकू मारा गया था, यह उपलब्ध सामग्री और उच्च न्यायालय के समक्ष दायर सीसीटीवी फुटेज से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है-प्रतिवादी नं.2 और उसका बेटा भी रिकॉर्ड में है-इन सभी कारकों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है-इसके अलावा, ऐसे आरोप हैं कि मृतक के परिवार को प्रतिवादी नं।2 – प्रतिवादी नं. को जमानत देने वाला उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश।2 रद्द कर दिया गया है-दंड संहिता, 1860 -s.302।

/

/

/

आपराधिक विधि -जमानत-अनुदान/अस्वीकृति-मार्गदर्शक सिद्धांतों-पर चर्चा की गई।

निरंजन सिंह और अन्न बनामप्रभाकर राजाराम खरोटे

/

& ओआरएस। (1980) 2 एससीसी 559:[1980] 3 एससीआर 15; राम

गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य। **(2002)**

3 एससीसी 598:[2002] 2 एस. सी. आर. 526; जयबुनिशा बनाम मेहरबान और अन्न। (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 58; बृजमणि

देवी बनाम पप्पु कुमार और अन्र। **(2021)** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 1280];** **X** बनाम तेलंगाना राज्य और अन्र। **(2018) 16** एससीसी **511:[2018] 4** एस**.** सी**.** आर**. 466;** कल्याण चंद्र सरकार बनाम**.** राजेश रंजन **@**पप्पु यादव और अन्र। **(2004) 7** एससीसी **528:2004 (3)** जे**.** टी**. 442;** प्रभाकर तिवारी बनाम राज्य

/

उत्तर प्रदेश और अन्र. (2020) 11 एससीसी 648:2020 (2)

/

859

860 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

/

जे**.** टी**. 72;** यू**.** पी**.** राज्य सी**.** बी**.** आई बनाम अमरमणि त्रिपाठी के माध्यम से

(2005) 8 एससीसी **21:[2005] 3** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 454-**पर निर्भर।

संदर्भित निर्णय

[1980] 3 एससीआर **15**

पर विश्वास किया

पैरा **10**

/

[2002] 2 एससीआर **526**

पर विश्वास किया

पैरा **10**

[2018] 4 एससीआर **466**

पर विश्वास किया

पैरा **11**

[2005] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 454** पर निर्भर

पैरा **13**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 398।

/

2020 के सी. आर. एम.-एम. सं. 37527 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 17.11.2020 के निर्णय और आदेश से।आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, ईशान जॉर्ज, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।अनिल कौशिक, एडिशनल।ए. जी., सुश्री अंजू कौशिक, विश्व पाल सिंह, शिशिर माथुर, विरेश बी. सहारिया, अक्षत अग्रवाल, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणो के लिए।

/

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

/

1. अनुमति दी गई।

2. प्रत्यर्थी नं। 2 (महेश कुमार) भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.' के अंतर्गत अपराध के एक मामले में आरोपी है।प्रत्यर्थी का जमानत आवेदन सं। 2 को विचारण न्यायालय ने दो मौकों पर खारिज कर दिया था।इसके बाद, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नं. 2. शिकायतकर्ता ने विशेष अनुज्ञात याचिका के माध्यम से यह अपील प्रतिवादी नं.2.

/

3. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि मृतक, जो शिकायतकर्ता/अपीलार्थी का भाई था, को घातक चोटें आई थीं और रात के बीच में उसकी मृत्यु हो गई थी।

/

4. जमानत देने वाले आदेश को रद्द करने की मांग करने वाले अपीलार्थी के विद्वान वकील का निवेदन यह है कि मृतक और प्रतिवादी के बीच लंबे समय से प्रतिद्वंद्विता थी। 2 और 16.06.2020 शाम को ही ए में दोनों के बीच हाथापाई हुई।

/

जिसे मृतक को चोटें आई थीं और उसने अपनी लिखावट में पुलिस स्टेशन में दोपहर 08.00 पर शिकायत दर्ज कराई थी (जो बाद में अगली तारीख को दर्ज की गई थी)।प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मृतक इलाज के लिए अस्पताल गया था।यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यर्थी नं। 2 अस्पताल भी पहुँचा और अपीलार्थी के अनुसार, कॉल अभिलेख से पता चलता है कि उसने

अपने बेटे को अस्पताल बुलाया, जिसने फिर मृतक पर चाकू से हमला किया जिससे उसे गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण मृतक की मृत्यु हो गई।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस पृष्ठभूमि में प्रतिवादी नं. 2 को निचली अदालत ने दो बार खारिज कर दिया था और उच्च न्यायालय ने इन पहलुओं पर विचार किए बिना और कोई ठोस कारण बताए बिना जमानत दे दी है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि जमानत पर रिहा होने के बाद प्रतिवादी नं. 2 मृतक के परिवार के सदस्यों को धमकी देना।यह भी तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी नं. के खिलाफ अब आरोप विरचित किए गए हैं। 2 भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत ।

/

/

5. हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अनिल कौशिक ने अपीलार्थी के मामले का समर्थन किया है और कहा है कि जब निचली अदालत द्वारा विस्तृत कारणों से दो बार जमानत खारिज कर दी गई है, तो उच्च न्यायालय को जमानत देने के लिए उचित कारण देने चाहिए थे और ऐसे कारण बताए बिना आदेश पारित नहीं कर सकते थे।

/

6. इसके विपरीत, श्री शिशिर माथुर, प्रत्यर्थी नं. 2 ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी सं. 2 को सौंपी गई भूमिका के संबंध में विसंगतियों पर विचार किया है। 2 एफ. आई. आर. और शिकायतकर्ता के बयान में और सीसीटीवी फुटेज पर भी विचार किया है जो उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था और फिर जमानत दी गई थी।7. हमने श्री आर. बसंत, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री अनिल कौशिक, राज्य/प्रतिवादी नं.1, साथ ही श्री शिशिर माथुर, प्रत्यर्थी नं. 2 (अभियुक्त) और अभिलेख का अवलोकन किया।

/

/

8. आक्षेपित आदेश से हम जो देखते हैं वह यह है कि उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय केवल निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं और जमानत देने का आदेश पारित किया हैः

/

“एफ. आई. आर. के अनुसार, याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर मृतक का बायां हाथ पकड़ लिया था और मनीष और पीयूष उर्फ पासू ने मृतक पर चाकू से वार किया था, जबकि शिकायतकर्ता ने

/

/

[2022] 2 एस सी आर।

/

उसने अपने बयान में सुधार करते हुए अपना पूरक बयान दर्ज कराया कि याचिकाकर्ता और दीपक भागते हुए आए थे और लड़के से उसे (मृतक) मारने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह जीवित न रहे।याचिकाकर्ता 18.07.2020 के बाद से हिरासत में है।मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में समय लगेगा।इसलिए, याचिकाकर्ता को सलाखों के पीछे रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। "9. यह तय विधि है कि जब निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है (और वर्तमान मामले में इसे दो बार खारिज कर दिया गया है), तो उच्च विचारण न्यायालय से जो उम्मीद की जाती है, निचली अदालत से अलग दृष्टिकोण लेते हुए, जमानत देने के लिए कुछ ठोस और वैध कारण दिए जाने चाहिए थे।वर्तमान मामले में अपराध की प्रकृति बहुत गंभीर है।तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी का पुत्र नहीं। 2 ने प्रतिवादी नं. 2 की उपस्थिति में मृतक को चाकू मार दिया था। 2 इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्री और उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए सीसीटीवी फुटेज से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है।उत्तरदाता के बीच किए गए फोन कॉल का विवरण सं. 2 (अभियुक्त सं।2) और उसका बेटा (आरोपी नं.1) रिकॉर्ड में भी हैं।उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय इन सभी कारकों पर विचार किया जाना चाहिए था, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया है।

/

/

/

10. हालाँकि जमानत की याचिका को मंजूर या अस्वीकार करने का आदेश एक विवेकाधीन उपाय है, लेकिन इस न्यायालय के कई निर्णय हमारे सामने उद्धृत किए गए हैं, जो विधि के इस क्षेत्र को निर्देशित करने वाले सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं।में

/

निरंजन सिंह और अन्न बनामप्रभाकर राजाराम खरोटे और अन्य।

[(1980) 2 एस**.** सी**.** सी**. 559],** यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उस स्तर पर न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामले से संतुष्ट होना चाहिए और इस प्रश्न पर विचार करने के लिए साक्ष्य की विस्तृत जांच आवश्यक नहीं है।राम गोविंद उपाध्याय में

बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य। [(2002) 3 एस. सी. सी. 598], इस न्यायालय ने राय दी

/

कि एक बार जब उच्च न्यायालय जमानत देने से इनकार कर देता है, तो इस तरह की याचिका पर विचार करने और बाद में जमानत देने का समर्थन कारणों से किया जाना चाहिए।

11. के मामले में एक समन्वय पीठ के निर्णय में

जयबुनिशा बनाम मेहरबान और अन्र। **[(2022)** एससीसी ऑनलाइन एससी **58]**

और **2022** की आपराधिक अपील **No.227 (**साबिर बनाम। भूरा और नदीम और अन्र**)** ने **15** फरवरी**, 2022** को इसी पीठ द्वारा निर्णय लिया कि गंभीर अपराधों में जमानत आदेश की आवश्यकता को तर्क द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।बृजमणि के मामले में एक समन्वय पीठ ने भी यही विचार रखा था

/

देवी बनाम पप्पु कुमार और अन्र। [(2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 1280]।

इस प्रश्न को **X** बनाम तेलंगाना राज्य के मामले में निपटाया गया था।

और एन**.** आर**. [(2018) 16** एससीसी **511]**।

/

863

पूरन माल बनाम हरियाणा राज्य और ए. एन. आर.

/

12. हालाँकि, वर्तमान मामले में, सत्र न्यायालय द्वारा पहले दो अस्वीकृति आदेश थे, लेकिन उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के अंतर्गत जमानत दे दी थी, पहली बार उस प्रावधान के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र को लागू किया गया था।कल्याण के मामले में

चंद्र सरकार बनाम**.** राजेश रंजन **@**पप्पु यादव और अन्र।

[(2004) 7 एस**.** सी**.** सी**. 528],** कथित अपराध की गंभीरता को जमानत देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है।

/

13. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र के मामलों में निर्णय। [(2020) 11 एस. सी. सी. 648] और उत्तर प्रदेश राज्य। सी. बी. आई बनाम अमरमणि त्रिपाठी [(2005) 8 एस. सी. सी. 21] के माध्यम से

अपीलीय स्तर पर इस न्यायालय द्वारा जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेशों पर विचार करने का प्रश्न ।प्रभाकर तिवारी (जिसमें हममें से एक, जे. अनिरुद्ध बोस एक पक्षकार थे) में, उच्च

न्यायालय द्वारा जमानत आदेश को कायम रखा गया था क्योंकि इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया था कि अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत देने में उच्च न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग करने में कोई त्रुटि नहीं थी।हालाँकि, अपराध गंभीर और गंभीर था और इसमें भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 303 शामिल थी। अमरमणि त्रिपाठी (उपरोक्त) के मामले में, अभियुक्त की रिहाई के बाद के आचरण पर विचार किया गया था।इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने पाया कि उच्च न्यायालय जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई भारी मात्रा में सामग्री को ध्यान में रखने में व्यावहारिक रूप से विफल रहा है।उस परिप्रेक्ष्य में, अभियुक्त को जमानत देने के आदेश को दरकिनार कर दिया गया था।14. वर्तमान मामले के तथ्यों में हमने अपराध की गंभीरता के साथ-साथ प्रतिवादी सं.2. हम यह भी पाते हैं कि प्रत्यर्थी नहीं। 2 इस तरह के गंभीर मामले में जमानत दिए जाने से पहले केवल लगभग चार महीने तक जेल में रहे।आरोप है कि मृतक के परिवार को प्रतिवादी नं. की ओर से धमकी दी गई थी।2. हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत विभिन्न अधिकारियों के अनुपात को ध्यान में रखा है और हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी नं. 2 अलग रखे जाने योग्य है।

/

/

/

/

15. तदनुसार, ऊपर दिए गए कारणों के लिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.11.2020 के आदेश को रद्द कर देते हैं।

/

16. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

दिव्या पांडे

अपील अनुज्ञात ।

/